दिनांक 30.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 294/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना जहाँगीरगंज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **16 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 30.05.2026 को थाना जहाँगीरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त ओम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 16 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना जहाँगीरगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जहाँगीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—ओम निवासी ग्राम हनुमानगढ़ी थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा देहात

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 30.05.2026 को थाना खुर्जा देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अगवाल कट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अनीस को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अलीगढ़, बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है, गिरफ्तार अभियुक्त थाना खुर्जा देहात पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अनीस निवासी ग्राम शाहपुर थाना रोरावर जनपद अलीगढ़।

<u>जनपद बाराबंकी/थाना जहाँगीराबाद</u>

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 29.05.2026 को थाना जहाँगीराबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पलिया मसूदपुर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नीलू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है, गिरफ्तार अभियुक्त थाना जहाँगीराबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जहाँगीराबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—नीलू निवासी ग्राम लखनापुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर।

<u>जनपद उन्नाव/थाना अजगैन</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटी गयी 40 एसी, 47 फ्रिज**
- **लूटा गया 01 कन्टेनर**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 29/30.05.2026 को थाना अजगैन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कस्बा कसिया, स्वास्तिक ढाबे के पास से अभियुक्त

1–विकास 2–राजू उर्फ बलिराम 3–अविनाश 4–विवेक को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर चण्डीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त छुट्टन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी 40 एसी, 47 फ्रिज, लूटा गया 01 कन्टेनर, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.05.2026 को थाना अजगैन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अजगैन पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद एसी, फ्रिज आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अजगैन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विकास निवासी गन्दरौली थाना उधैवी जनपद बदायूं।

2–राजू उर्फ बलिराम निवासी कुड़वा दिलीप नगर थाना कसया जनपद कुशीनगर।

3–अविनाश निवासी पड़रौना रोड कस्बा व थाना कसया जनपद कुशीनगर।

4–विवेक निवासी वनतरिया संसार थाना भोरे जनपद गोपालगंज बिहार।

5–छोट्टन निवासी हथियाइन थाना पीपरा कोठी मोतीहारी बिहार।

बरामदगी

1–लूटी गयी 40 एसी, 47 फ्रिज।

2–लूटा गया 01 कन्टेनर।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सूरजपुर

- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली धातु के आभूषण**
- **चोरी के 04 किलोग्राम का तांबे का तार आदि बरामद**

दिनांक 29/30.05.2026 को थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एलएनटी सर्विस साकीपुर के पास से 07 अभियुक्तों 1–उत्तम 2– दीपेश 3– गौरव

4—दीपक 5—रोहित उर्फ रैन्चो 6—सूरज 7—रोहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली धातु के आभूषण, चोरी के 04 किलोग्राम का तांबे का तार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.05.2026 को थाना सूरजपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त गौरव के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 12 अभियोग, अभियुक्त उत्तम के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त रोहित के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—उत्तम निवासी ग्राम धौलीशेरा थाना जौलजीवी जिला पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड, हालपता ग्राम छलेरा थाना सेक्टर—39 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2—दीपेश निवासी ग्राम सिद्धनगला थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर, हालपता कस्बा व थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3—गौरव निवासी ग्राम चन्द्रावली थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर, हालपता ग्राम साकीपुर थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

4—दीपक निवासी ग्राम साकीपुर थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

5—रोहित उर्फ रैन्चो निवासी ग्राम साकीपुर थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

6—सूरज निवासी ग्राम अम्बा थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर, हालपता ग्राम साकीपुर थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

7—रोहित निवासी ग्राम दातऊ नगरिया थाना इगलास जनपद अलीगढ़, हालपता ग्राम बिरौडी थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–लगभग 03 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली धातु के आभूषण।

2–चोरी के 04 किलोग्राम का तांबे का तार आदि।

- **जनपद मुजफ्फरनगर/थाना चरथावल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को मृत्युदण्ड व 06 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना चरथावल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रईस उर्फ रहीस उर्फ जहूर हसन को मृत्युदण्ड व 06 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद एटा/थाना जैथरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना जैथरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 70(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सर्वेश 2–मुरारीलाल को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद देवरिया/थाना भटनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद देवरिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद देवरिया द्वारा थाना भटनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दिलीप उर्फ टार्जन को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मथुरा/थाना रिफाइनरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मथुरा द्वारा थाना रिफाइनरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामनिवास को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सोनभद्र/थाना जुगैल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना जुगैल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त संत कुमार को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद एटा/थाना जैथरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना जैथरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पिन्टू उर्फ गौरव को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद औरैया/थाना दिबियापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना दिबियापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 व 376(3) भादवि सपठित धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आकाश को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद इटावा/थाना फ्रेंड्स कॉलोनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मोहित को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।